(छ०ग० राज्य विरूद्ध विद्याधर राम)
Criminal case no.–316/2022

witness's No.....03....for.....अभियोजन साक्षी .....Deposition.....
taken the..25.04.2025....day of .शुक्रवार.witness's apparent age ...38.. years
States on affirmation ..शपथ पूर्वक...my name is...मिथुन कुमार मंडल.....
S/W/D....of.. मंटु मंडल ..occuption.....खेती किसानी.....
address –धरमजयगढ़ कॉलोनी, थाना धरमजयगढ, जिला –रायगढ़ छ०ग०.....

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०

साक्षी को शपथ दिलाई गई।
परीक्षण प्रारंभ– 11:35

01– मैं अभियुक्त विद्याधर राम को नहीं जानता हूं। साक्षी को गिरफ्तारी पत्रक में चस्पित अभियुक्त विद्याधर राम की फोटो दिखाये जाने पर नहीं पहचानना बताया है। मैं मृतक कृष्णा बैरागी को जानता हूं, मृतक मेरे मोहल्ले का निवासी है । घटना वर्ष 2022 की है । घटना दिनांक रात्रि समय करीबन 10.00–11.00 बजे मुझे मृतक के भाई किशोर बैरागी ने बताया कि कृष्णा बैरागी का ऐक्सीडेंट हो गया है और उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके पश्चात मैं गांव के अन्य लोगों के साथ धरमजयगढ शासकीय अस्पताल आए थे जहां कृष्णा बैरागी को मरच्यूरी में रखा गया था । कृष्णा बैरागी का ऐक्सीडेंट कैसे हुआ था मुझे इसकी जानकारी नहीं है । साक्षी को धारा 175 दं.प्र.सं. के अंतर्गत मृत्यु जांच में उपस्थिति हेतु आवेदन पत्र **प्र०पी० 02,** नक्शा पंचायतनामा **प्र०पी० 03** के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त हस्ताक्षर मैंने सरकारी अस्पताल धरमजयगढ में किया था ।

नोटः– इसी समय ए०डी०पी० ओ० उपस्थित साक्षी को प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति मांगी। अभिलेख अवलोकन पश्चात अनुमति दी गई।

02– यह कहना गलत है कि दिनांक 12.09.2022 की रात्रि करीबन 10.00 बजे किशोर बैरागी ने बताया कि उसके भाई कृष्णा बैरागी का सरिया नाला के पहले रायगढ रोड में ट्रक से ऐक्सीडेंट हो गया है तब मैं एवं मोहल्ले के अन्य लोग सरिया नाला घटनास्थल के पास गए तो देखे कि कृष्णा बैरागी सडक में मृत हालात में पडा था । यह कहना भी गलत है कि घटना कारित ट्रक क्रमांक सी.जी.–13–ए.डी.–6368 वहीं रोड पर खडी थी एवं ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया था, साक्षी ने स्वतः कहा कि मैं घटनास्थल नहीं गया था ।यह कहना गलत है कि कृष्णा बैरागी की मृत्यु ट्रक क्रमांक सी.जी.–13–ए.डी.–6368 के चालक द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए ठोकर मारने से हुई थी । यह कहना सही है

कि पुलिस वाले मेरे समक्ष मृतक की शव पंचनामा की कार्यवाही किये थे । साक्षी को उसका पुलिस बयान **प्र०पी०–09** के अ से अ भाग का कथन दिनांक 12.09.2022 ..... शंका नहीं है, पढकर सुनाये जाने पर ऐसा कथन नहीं देना व्यक्त किया । यह कहना गलत है कि आज मैं अभियुक्त को बचाने के लिये न्यायालय में असत्य कथन कर रहा हूँ ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री विरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u> ।

03– यह कहना सही है कि मैंने पुलिस वालों को घटना के संबंध में कोई बयान नहीं दिया था । यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने मुझसे किन किन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाया था नहीं बता सकता । यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने मुझे उन दस्तावेजों को पढकर नहीं सुनाया था ।

<u>प्रतिपरीक्षण समाप्त–11:45</u>

वांचित सत्य स्वीकृत

सही/-
(प्रिया रजक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ छ०ग०

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/-
(प्रिया रजक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ छ०ग०